एक अवयस्क साझेदार फर्म के साझेदारों पर फर्म की संपत्ति अथवा लाभ में अपने भाग का हिसाब देने या चुकाने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। किन्तु फर्म में अपना संबंध-विच्छेद होने की दशा में वह ऐसा कर सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में उसके हिस्से की संपत्ति तथा लाभ का बंटवारा (मूल्यांकन) अधिनियम की धारा 48 के तहत किया जाता है।

(C) अवयस्क साझेदार के दायित्व — ये इस प्रकार हैं —

(i) अवयस्क का भाग फर्म के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी है — मात्र फर्म की संपत्ति और लाभ में अवयस्क का भाग ही फर्म के लेनदारों के प्रति दायी होगा, किन्तु वह व्यक्तिगत रूप से फर्म के किसी लेनदारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसकी निजी संपत्ति भी फर्म के लेनदारों के प्रति कोई दायी नहीं होगी।

(ii) सार्वजनिक सूचना देने का दायित्व — एक अवयस्क साझेदार का यह दायित्व बनता है कि जब वह वयस्क हो तो, वह फर्म में पूर्ण रूप से साझेदार बना रहेगा या नहीं इसकी सार्वजनिक सूचना 6 महीने के अन्दर देदो।

(D) यदि वयस्क होने पर साझेदार बनना स्वीकार करता है — वयस्क हो जाने पर जब एक अवयस्क साझेदार बनना स्वीकार कर लेता है या समय बीत जाने पर उसे साझेदार मान लिया जाता है, तो उसे एक साझेदार के सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा उसका दायित्व अब सीमित नहीं रह जाता और जब से उसे अवयस्क की स्थिति में होने पर लाभ में भाग मिला था उसी दिन से वह वाह्य पक्षकार के प्रति उसी प्रकार दायी हो जाता है जैसे कि अन्य साझेदार होते हैं। फर्म की संपत्ति तथा लाभ में भी

B.com एक अवयस्क और साझेदारी For B.O & CL Students 1.

(Position of A Minor in Partnership)

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार किसी अवयस्क के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ (void) होता है, चूँकि साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न होती है और एक अवयस्क द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है, अतः कोई अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता। किन्तु भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत एक अवयस्क को सीमित प्रयोजन के हेतु साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है, किन्तु वह पूर्ण रूपेण साझेदार नहीं हो सकता। अधिनियम में अवयस्क साझेदार के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं —

(A) साझेदारी के लाभों में सम्मिलित — अनुबंध की क्षमता नहीं होने की वजह से एक अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता मगर सभी साझेदारों की सहमति से उसे साझेदारी फर्म के लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है।

(B) अवयस्क साझेदार के अधिकार — एक अवयस्क साझेदार के निम्न प्रमुख अधिकार हैं—

(i) फर्म के खातों तक पहुँच — एक अवयस्क की फर्म के खातों तक पहुँच होगी, वह उनकी जाँच कर सकेगा और उसकी छाया प्रति या प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। किन्तु वह फर्म की अन्य पुस्तकों को नहीं देख सकता क्योंकि इनमें गोपनीय बातें भी होती हैं जो कि फर्म के वयस्क साझेदारों तक ही सीमित होती हैं।

(ii) फर्म की संपत्ति एवं लाभ में निश्चित भाग पाना — एक अवयस्क साझेदार को फर्म की संपत्ति एवं लाभ में ऐसा भाग पाने का अधिकार होगा, जो कि अन्य साझेदारों द्वारा निश्चित कर दिया गया हो।

(iii) संबंध विच्छेद की दशा में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार—

Scanned with CamScanner

उसका हिस्सा अब अवयस्कता की स्थिति वाला नहीं होगा, अन्य साझेदारों की तरह होगा।

(E) यदि अवयस्क वयस्क होने के बाद साझेदार बनना स्वीकार न करे — वयस्क होने पर यदि साझेदार नहीं बने रहना है तो वयस्कता प्राप्ति के 6 महीने के अन्दर ही अवयस्क साझेदार को इसकी सार्वजनिक सूचना देनी होगी और फिर उसके अधिकार तथा कर्तव्य इस प्रकार होंगे — (i) उसके अधिकार तथा दायित्व उसकी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक वही रहेंगे जो कि अवयस्क के होते हैं। (ii) उसको आगे फर्म के उन कार्यों के प्रति दायी नहीं होगा जो सूचना देने के बाद किये गये हों। (iii) उसे संपत्ति तथा लाभ में अपने भाग के लिए फर्म पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जायेगा।